

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी: राजकुमार कस्वा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 13/2023, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल देवीसहाय पुत्र पूनीराम उर्फ पूरण चन्द जाति बैरवा उम्र 59 वर्ष निवासी वार्ड नं. 2 पुराना बास गुढा रोड मुकरपुरा थाना बांदीकुई जिला दौसा ।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: गैर सायल बहस के दौरान उपस्थित ।

–: निर्णय :-

दिनांक:- 17.10.2023

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना बांदीकुई जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल देवीसहाय पुत्र पूनीराम उर्फ पूरण चन्द जाति बैरवा निवासी वार्ड नं. 2 पुराना बास गुढा रोड मुकरपुरा थाना बांदीकुई जिला दौसा के विरुद्ध थाना बांदीकुई में निम्नानुसार मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है तथा अदालत से सजा एवं जुर्माना हुआ है। गैर सायल के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	मुकदमा संख्या	तारीख रजू	धारा	चार्जशीट सं.	दिनांक	निर्णय अदालत
1.	598/20	05.12.2020	13 RPGO	451/2020	08.12.2020	सजा 100/- अर्थदंड दिनांक 15.12.2020
2.	390/2021	26.06.2021	1 3 RPGO	289/2021	29.06.2021	सजा 100/- अर्थदंड दिनांक 13.07.2021

उक्त शख्स देवीसहाय पुत्र पूनीराम उर्फ पूरण चन्द जाति बैरवा निवासी वार्ड नं. 2 पुराना बास गुढा रोड मुकरपुरा थाना बांदीकुई जिला दौसा जुआं खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुआं खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में भी इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। जिससे गैर सायल के विरुद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते है। उक्त गैर सायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के अन्तर्गत यह इस्तगासा पेश कर उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है। जिससे आम नागरिको को जुआ के दुष्प्रेरण से बचाया जा सके।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल बहस के दौरान स्वयं उपस्थित हुआ। लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरुद्ध थाना बांदीकुई में दो आपराधिक प्रकरण धारा 13 RPGO के तहत दर्ज किये गये है। जिनमें गैर सायल को सजायाब किया जाकर अर्थदंड से दण्डित किया गया है। गैर सायल देवीसहाय पुत्र पूनीराम उर्फ पूरण चन्द जाति बैरवा निवासी वार्ड नं. 2 पुराना बास गुढा रोड मुकरपुरा थाना बांदीकुई जिला दौसा ताशपत्ती व सट्टे की खाईवाली में लिप्त रहता है। ताशपत्ती से जुआं खेलकर वह अपराधियों के सम्पर्क में रहने लग गया। उक्त शख्स के कारण समाज में अशान्ति व भय उत्पन्न हो गया क्योंकि इसके पास आपराधिक प्रवृत्ति के लोगो का आना-जाना शुरू हो गया। आम जन इस शख्स के भय के कारण इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करता है व ना ही गवाही देता है। थानाधिकारी पुलिस थाना बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल को पिछले 10 वर्षों में 9 अपराधों में सजा हुई है। गैर सायल का स्वच्छन्द रहना समाज के



लिये संकटमय हो गया है। गैर सायल को बार-बार सट्टे की खाईवाली करते एवं जुआ खेलते हुये गिरफ्तार करने एवं उसके विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार कर अर्थदण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतो व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव को मध्यनजर रखते हुये आमजन को जुआ-सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

गैर सायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर बहस के दौरान निवेदन किया कि गैर सायल के विरुद्ध जो दो मुकदमे दर्ज किये गये है। वह मुकदमे काफी पुराने है एवं उक्त मुकदमों में गैर सायल को जुमाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। गैर सायल के विरुद्ध दर्ज मुकदमे आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है। मात्र 13 RPGO के ही मुकदमे दर्ज हैं जो कि आपराधिक श्रेणी के मुकदमों में नहीं आते है। गैर सायल एक मजदूरी पेशा व्यक्ति है। जो मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन कर रहा है। गैर सायल किसी गम्भीर आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं रहा है। अतः गैर सायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासा निरस्त फरमाते हुये गुण्डा एक्ट में की जाने वाली कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल अपराधी के विरुद्ध दो मुकदमे दर्ज हुये है। जिसमे गैर सायल सजायाब हो चुका है। गैर सायल द्वारा बहस के दौरान स्वीकार किया गया है कि उसके विरुद्ध दो प्रकरण जुआ सट्टा खेलने के कारण अन्तर्गत धारा 13 RPGO दर्ज हुये है। जिसमे गैर सायल को पूर्व में अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित भी किया जा चुका है। गैर सायल जुआ सट्टा खेलकर आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने के कारण राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए तथा आमजन को जुआ-सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने एवं युवाओं को जुआ सट्टे की लत से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल देवीसहाय पुत्र पूनीराम उर्फ पूरण चन्द जाति बैरवा निवासी वार्ड नं. 2 पुराना बास गुढा रोड मुकरपुरा थाना बांदीकुई जिला दौसा को दिनांक 19.10.2023 से 30(तीस) दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल बांदीकुई, बसवा के रास्ते होते हुये थाना राजगढ जिला अलवर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना राजगढ जिला अलवर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र राजगढ जिला अलवर में निवास करते हुए प्रत्येक गुरुवार को थानाधिकारी थाना राजगढ जिला अलवर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं अलवर को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।



(राजकुमार कस्वा)

अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 17.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजकुमार कस्वा)

अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा